सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 06/19 **निर्णय दिनांकः 08.07.2019**

1. आशाराम पुत्र जैसाराम जाति सुथार निवासी सेहला तहसील रतनगढ़ जिला चूरू।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 30—05—1981
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेरके आदेश दिनांक 30—05—1981 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि में से मुरब्बा नम्बर 142/36 की 12 बीघा भूमि पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन का पात्र धोषित किया गया तथा दिनांक 30—05—1981 को सलाहकार समिति की राय से 11 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 142/44 के किला नम्बर 1 ता 9, 13 ता 18, 23 ता 25 तादादी 18 बीघा अनकमाण्ड तथा मुरब्बा नम्बर

142/36 के किला नम्बर 2 ता 4, 7, 8, 13 ता 17 तादादी 10 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 5 व 6 तादादी 2 बीघा अनकमाण्ड कुल 12 बीघा इसप्रकार कुल 30 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन पश्चात् तमाम आवंटित भूमि कि समस्त किश्तें भी अपीलांट से भरवा ली गई तथा इसका नोट भी सेल रजिस्टर में अंकित कर दिया गया। परन्तु उक्त आवंटित भूमि में से मुरब्बा नम्बर 142/36 के किला नम्बर 2 ता 4, 7, 8, 13 ता 17 तादादी 10 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 5 व 6 तादादी 2 बीघा अनकमाण्ड कुल 12 बीघा भूमि पर अपीलांट को कब्जा प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि उक्त भूमि पूर्व से ही अन्य व्यक्ति को आवंटित भूमि थी। लिहाजा अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा भी प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अपीलांट समान श्रेणी की अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—05—1981 के विरूद्व अपील दिनांक 14—12—18 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—05—1981 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 14—12—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। प्रकरण में अपीलांट ग्रामीण पृष्ठ भूमि व अन्य तहसील का निवासी होने के कारण तथा अपीलांट् लगातार अपने हकों के लिये उपनिवेशन अधिकारियों से सम्पर्क करता रहा है, आवंटन अधिकारी स्तर अपीलांट को किसी प्रकार की रिलिफ प्राप्त नहीं होने का कारण विलम्ब को दरगुजर करने का समुचित कारण है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि में से कुछ भू—भाग अर्थात मुरब्बा नम्बर 142/36 के किला नम्बर 2 ता 4, 7, 8, 13 ता 17 तादादी 10 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 5 व 6 तादादी 2 बीघा अनकमाण्ड कुल 12 बीघा भूमि का आवंटन ऐसी भूमि का किया गया है जोकि अपीलांट के उक्त आवंटन से पूर्व ही अन्य व्यक्ति को आवंटित थी। आवंटन अधिकारी

द्वारा आवंटन पश्चात् तमाम आवंटित भूमि अर्थात सम्पूर्ण 30 बीघा की राशि अपीलांट से खजानाराज में जमा करवा ली गई, जिसका अंकन सेल रजिस्टर में भी किया गया है। ऐसी स्थिति में उपनिवेशन अधिकारियों का दायित्व था कि पात्र धोषित आवेदक को साफ सुथरे रिकार्ड वाली भूमि का आवंटन करते तथा आवंटित रकबे का रिकार्ड अपडेट रखते। अपीलांट् लगातार अपने हकों के लिये उपनिवेशन अधिकारियों से सम्पर्क करता रहा परन्तु वांछित प्रत्युतर नहीं मिलने पर आवंटन आदेश की अपील की गई है।

आवंटन का रिकार्ड अपडेट रखने का दायित्व उपनिवेशन एवं राजस्व विभाग के कार्मिकों का है, परन्तु विभागीय अधिकारियों की अकर्मण्यता का नतीजा आवंटी भुगत रहे है। अपीलाधीन आवंटन आदेश से अपीलांट/आवंटी को कोई लाभ नहीं मिला है तो ऐसे आवंटन आदेश का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। परन्तु सक्षम अधिकारी ने न तो उक्त आदेश को निरस्त किया, न पात्रता के आधार पर आवेदक को अन्यत्र भूमि आवंटित की। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अनिश्चित अवधि तक प्रभावी रखने का औचित्य नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—05—1981 को चक 11 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 142/36 के किला नम्बर 2 ता 4, 7, 8, 13 ता 17 तादादी 10 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 5 व 6 तादादी 2 बीघा अनकमाण्ड कुल 12 बीघा ही हद निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवेदक की आज दिनांक की पात्रता व जमा राशि आदि की तथ्यों की सम्पूर्ण जॉच करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर